

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: यो0ले03/3-11/2023- /यो0वि0,पटना, दिनांक जून, 2026
सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 अंतर्गत कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यालय अंतर्गत विषय शीर्ष 13-01 कार्यालय व्यय एवं 28-02 संविदा सेवाएं हेतु कुल ₹ 9,80,000/- (नौ लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 अंतर्गत कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यालय में MIS डाटा प्रविष्टि के कर्मी के पारिश्रमिक एवं अन्य भुगतान हेतु विषय शीर्ष 13-01 कार्यालय व्यय एवं 28-02 संविदा सेवाएं अंतर्गत निम्नांकित सारणी में उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि स्वीकृत करते हुए ₹ 9,80,000/- (नौ लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष 13-01	विषय शीर्ष 28-02	वर्तमान में स्वीकृत राशि (3+4)
1	2	3	4	5
1	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, गया		1,00,000	1,00,000
3	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, समस्तीपुर	1,80,000	3,00,000	4,80,000
4	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-अरवल		4,00,000	4,00,000
	कुल योग	1,80,000	8,00,000	9,80,000
	कुल स्वीकृत राशि ₹ 9,80,000/- (नौ लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र।			

2. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-094-अन्य स्थापनाएँ, मांग संख्या-35, उपशीर्ष-0109-योजना यंत्र का सुदृढीकरण जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में, विषय शीर्ष-1301 कार्यालय व्यय के अंतर्गत स्वीकृत राशि विपत्र कोड 35-2053000940109 के अंतर्गत विकलनीय होगी, जिसके अंतर्गत बजट उपबंध है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालयों के कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन होंगे।

4. उक्त राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति उपरोक्त सारणी में वर्णित क्षेत्रीय कार्यालयों के मांग के आलोक में (कार्यालय व्यय, मानदेय एवं अन्य) दी गई है। इसी अनुरूप उनके द्वारा राशि का उपयोग किया जाएगा। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5. विपत्र कोड-35-2053000940109 (28-02) के तहत क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत संविदा पर तीन अनुसेवक के अतिरिक्त एक या दो अनुसेवक के लिए ही यह राशि स्वीकृत की जाती है।

6. राशि की निकासी एवं व्ययन करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों (अद्यतन) का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

7. संबंधित कार्यपालक अभियंता प्रत्येक माह योजना पर किये गये व्यय का प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।

8. प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह0 / -

(धर्मवीर प्रसाद सिंह)

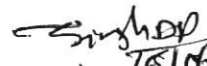
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: यो0ले03 / 3-11 / 2023- / यो0वि0, पटना, दिनांक जून, 2026
प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / -

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: यो0ले03 / 3-11 / 2023- 547 स्वी- / यो0वि0, पटना, दिनांक 16 जून, 2026
प्रतिलिपि: वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना / संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / विभागीय बजट शाखा / आई टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
आई टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृति को विभाग के साइट पर अपलोड कर दें।


सरकार के अवर सचिव

प्रतिनीति न. ब. 1. 1. 1.